भारतीय शिक्षा का 75 वर्षों का सफर उथल पुथल पूर्ण रहा है।

क्या राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 चौथी औद्योगिक क्रांति की वैश्विक दौड़ में भारत को आगे रख पायेगी।

–हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर बिमटेक

स्वतंत्रता के बाद के 75 वर्षो में देश की जो विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं, उनमें शिक्षा के विस्तार को सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। आज देश में 15 लाख से ज्यादा प्राइमरी और माध्यामिक स्कूल हैं, जिनमें 30 करोड़ बच्चे शिक्षा पाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक इन्हें पढ़ाते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या 1113 है, जिन में कुल मिला कर 4.2 करोड़ युवा उच्च शिक्षा पा रहे हैं।

आज के इन आंकड़ो से उभरने वाले शिक्षित भारत की तुलना यदि 1947 में भारत में शिक्षा की स्थिति से की जाये तो बड़ा अचंभा होगा कि 1947 से पहले सिर्फ 16 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 20 और कालेजों की संख्या 591 मात्र थी। शिक्षा का बजट 1947 में रू. 2.2 करोड़ था जो कि अब एक लाख करोड के आस पास रहता है।

आज कहा जा सकता है कि भारत के शिक्षा जगत का आकार संख्यात्मक रूप से सारी दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। देश के शीर्षस्थ 5 प्रतिशत विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान, जिन में 20 आईआईटी, 21 आईआईएम, 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एनआईटी और एम्स भी शामिल हैं, दुनिया के अनेक नामचीन संस्थानों से टक्कर ले सकते हैं।

लेकिन हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों में बड़ी संख्या ऐसे संस्थानों की भी है जिन की हालत को अच्छा नहीं माना जा सकता और जो संसाधनों की कमी से हर समय जूझते रहते हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के ज्ञानार्जन और शिक्षकों की गुणवत्ता के बारे में अक्सर सवाल उठते रहते हैं।

आजादी के बाद देश के पहले शिक्षामंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बनाये गये थे जो कि आजादी की लड़ाई के सम्मानित नेताओं में से एक माने जाते थे। उनकी विद्वत्ता का सभी लोहा मानते थे। जब 1949 में संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था, आर्टिकल 45 के अन्तर्गत यह कहा गया कि सरकार को दस साल के अन्दर देश के सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देनी होगी।

जब 1960 तक देश में साक्षरता सिर्फ 24 प्रतिशत हो पाई तो शिक्षा की विकट स्थिति से उबरने के लिए 1964 में भारत सरकार ने प्रो. डी एस कोठारी की अध्यक्षता मे एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। कोठारी आयोग ने अन्य सुझावों के साथ–साथ एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को

अपनाने और शिक्षा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 2.9 प्रतिशत से बढ़ाकर अगले 20 वर्षों मे 6 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। अफसोस है कि 60 वर्षों के बाद भी हम सभी प्रकार की शिक्षा पर कुल सालाना खर्च को जीडीपी के 6 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा पाये हैं। क्या हम न्यूनतम संसाधनों के अभाव में भी विश्वगुरू का दर्जा प्राप्त कर सकते है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता को समुचित विनियोग के बिना सुधारा जा सकता हैं?

कोठारी आयोग के एक सदस्य और प्रख्यात शिक्षाविद प्रो. जे पी नायक ने 1982 में शिक्षा के लिये जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च न कर पाने की आलोचना करते हुए कहा था कि कोई भी राजनैतिक दल शिक्षा के आमूल पुर्ननिर्माण के लिये प्रतिबद्ध नहीं हैं। 1976 तक शिक्षा संविधान के अन्तर्गत केन्द्र की सूची में सम्मिलित था। जिसे आपातकाल के दौरान संविधान की समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस का मतलब था कि शिक्षा के बारे में केन्द्र एवं राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकते थे, आर्थिक संसाधन आवंटित कर सकते थे और उन का क्रियान्वयन भी कर सकते थे।

आजादी के बाद के पहले तीन दशकों (1950–80) में तकनीकी, प्रबंधकीय एवं पेशेवर शिक्ष को देश के भावी विकास में महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किये गये। इन में आईआईटी, आईआईएम एवं एम्स जैसे संस्थानों के नाम प्रमुख हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये सीएसआईआर के अन्तर्गत 40 अनुसंधान शालाओ की स्थापना भी की गई। ज्ञातव्य है कि इन दूरदर्शी निर्णयों को लेने और उनके लिये समुचित संसाधन जुटाने में प्रधानमंत्री नेहरू को शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद और महान वैज्ञानिक डा. विक्रम साराभाई से बड़ी मदद और सहयोग मिला। 1960–70 के दौरान कृषि विशेष, शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया क्योंकि उस समय देश खाद्यान की समुचित आपूर्ति न होने के कारण खाद्य–संकट से जूझ रहा था। ज्ञात्वय है कि 1966 में सूखे के कारण बिहार और समीपवर्ती राज्यों को अकाल की स्थिति को सामयना करना पड़ा था। इस अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय स्थापित किये गये जो कालांतर में हरित क्रांति के जनक बने।

1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 1986) की घोषणा की जिस में शैक्षणिक असमानता को दूर करने और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को भारतीय समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया गया था। इस का प्रमुख कारण था कि अच्छी शिक्षा के अवसर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नई नीति में इन वर्गो के लिये अधिक छात्रवृतिया देने और उनको शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने पर जोर दिया गया था। इस नीति के तहत 1994 में 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' की शुरूआत की गई जिस का मकसद प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारना था। उच्च शिक्षा में मुक्त शिक्षा के विस्तार के लिये 1985 इग्नू की में स्थापना भी की गई।

1986–92 के बीच का दौर देश में राजनैतिक व आर्थिक उथल–पुथल का दौर माना जाता है। इस दौरान एनईपी 1986 का क्रियान्वयन गति नही पकड़ सका। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी

नरसिंहा राव (पीओए, 1992) की घोषणा की । इस के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर एवं तकनीकी शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के किये राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की घोषणा की गई।

1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल में शुरू हुए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने जहां एक और आर्थिक विकास की गति को तेज किया, वहीं दूसरी और वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ के सुझावों पर शिक्षा में ऐसे प्रयोग शुरू किये गये जो कि जमीनी हकीकतों को नजर अंदाज करते थे। उदाहरण के लिये वर्ल्ड बैंक की मदद से 1994 में भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम (डीपीईपी) को कुछ चुने हुए जिलों में शुरू किया। यह एक विकेन्द्रित योजना थी जिसके द्वारा स्कूलों में दाखिलों को बढ़ाना, ड्राप–आउट की गति को कम करना और ज्ञानार्जन की गति को बढ़ाया जाना था।

उदारीकरण के दौर में गरीब वर्गों के परिवारो की अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की उम्मीदों और हसरतो को पूरा करने और विश्व स्तर पर स्कूली शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये कई बड़े कदम उठाये गये। मिसाल के तौर पर 1999 में संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) पारित किया गया और वर्ष 2000 में 'सर्व शिक्षा अभियान' की शुरूआत की गई।

1991 के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत सरकार द्वारा निजीकरण की नीति को बल दिये जाने के कारण इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मेडीकल एवं तकनीकी विषयों में निजी क्षेत्र के कालेजों का देश के हर क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ। उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओंएआईसीटीई और यूजीसी की नीतियों त्रृटिपूर्ण क्रियान्वयन के कारण जहां दक्षिण भारत की तर्ज पर उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में हजारों नये संस्थान खुले, वहीं पर आईटी उद्योग, निर्माणी उद्योग और सेवा क्षेत्र (बैंकिंग, टेलीकॉम, बीमा, परिवहन, मीडिया आदि) के त्वरित विकास और व्यापक विस्तार के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ते हए देखे गये। 1993–94 से 2008–09 तक के 15 वर्षों की अवधि में तकनीकी शिक्षा एवं पेशेवर शिक्षा की जो बेतहाशा वृद्धि देखी गई, उससे निजी क्षेत्र उच्च शिक्षा के कुल दाखिलों में 70–80 प्रतिशत हिस्से पर काबिज हो गया।

21वी सदी में दुनिया में इंटरनैट ने चतुर्थ औद्योगिक क्रांति (इन्डस्ट्री 4.0) को जन्म दिया, जिसे डिजिटल युग का नाम दिया गया। चौथी औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति और उसके बाद की सभी आर्थिक क्रांतियों को पीछे छोड़ दिया। इस दौर में ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियां सामने आई जिन्होनें विश्व अर्थव्यवस्था में उथल–पुथल मचा दी। ए आई, मशीन लर्निंग, 3 डी, आई ओ टी, वर्चुअल रियलिटी, जेनोमिक्स आदि ने एक अभूतपूर्व संभावना को जन्म दिया है जिससे कि आने वाले दो दशकों में दुनिया की मानवीय, जैविक एवं प्र्यावरण से जुड़ी प्रमुख व ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो पायेगा और मानव–सभ्यता एक ऊंची छलांग लगा पायेगी। इन सभी संभावनाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत की प्राथमिक स्कूली एवं उच्च शिक्षा के लिये अगले 10–12 वर्षों का एक प्रभावशाली खाका पेश किया है जो कि उदान्तपूर्ण उम्मीदों और आकांक्षाओं पर आधारित है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी

की वास्तविकताओं से रूबरू कराता है। क्या हमारे महान लोकतंत्र और उस के सक्रिय अंगो, यथा केन्द्र व राज्य सरकारों की उच्च प्राथमिकताओं में एनईपी 2020 को शामिल किया जा सकेगा?